

LD-112
(088) LL.M. (III Semester)
Examination Jan-Feb. - 2021
Compulsory/Optional

Group-
Paper-IV

Name/Title of Paper- SPECIFIC TORTS-II
Time: Three Hours

Maximum Marks- 100
Minimum Passing Marks- 40

नोट: किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
Note: Answer any four questions. All questions carry equal marks.

1. चिकित्सकों और अस्पताल के दायित्वों की विवेचना डॉ कुनाल साहा बनाम सुकुमार मुखर्जी के वाद के विशेष संदर्भ में लिखिए।
Discuss the liability of Doctors and Hospital with special reference to Kunal Saha vs. Sukumar Mukherjee case.
2. भोपाल गैस रिसाव एवं ओलियम गैस रिसाव के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उधमियों पर उपेक्षा के दायित्व को अधिरोपित करने हेतु किस नियम को अपनाया? समझाइए।
What rule has been adopted by supreme court in Bhopal gas leakage and Oleum gas leakage cases for imposing liability on industrialists. Explain.
3. "हमें ऐसे कार्यों और चूकों से बचने के लिए युक्तियुक्त सावधानी बरतनी चाहिए जिसे हम अपने पड़ोसी को हानि पहुंचाने का युक्तियुक्त पूर्वानुमान कर सकते हैं" इस कथन की विवेचना कीजिए।
We must take reasonable care to avoid acts or omissions which would be likely to injury your and can be for seen reasonably neighbours. Discuss the statement.
4. असावधानी से संबंध में "आत्मनिष्ठ" तथा वस्तुनिष्ठ सिद्धांत को समझाइए।
Explain subjective and objective theory in relation to Negligence.
5. एक अपकृत्य के रूप में उत्पात कब दावा योग्य होता है, समझाइए।
When the nuisance is actionable under the meaning of Tort. Explain
6. विधि सुधार (योगदायी उपेक्षा) अधिनियम 1945 ने योगदायी उपेक्षा के सिद्धांत को किस प्रकार प्रभावित किया समझाइए।
How the Doctrine of contributory Negligence has been effected by the law reforms (contributory negligence) act 1945. Explain.
7. निम्न को समझाइए (कोई दो)
Explain followings (Any two)
(i) परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं।
Res ipsa loquitur
(ii) मानसिक आघात
Nervous shock
(iii) सावधानी के मापदण्ड
Standards of care
8. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्माता तथा व्यवसायी के दायित्व की विवेचना उनके उत्पादों के संदर्भ में कीजिए।
Explain the liability of manufacturers and business houses for their products under the consumer protection act.